



उत्तराखण्ड
- 2 JAN 2012
निर्वाचन क्षेत्र 19, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
प्रारूप-26
(नियम 4क देखिए)

11AA 874979

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं पंकज सिंह क्षेत्री पुत्र श्री दलीप सिंह क्षेत्री आयु 31 वर्ष, जो ~~रा~~ नेहरू
ग्राम, जिला देहरादून, (रायपुर 19, विधान सभा), देहरादून का निवासी हूँ
और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय
किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ, जिसमें सक्षम
अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए
हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त हैं तो वह
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

(Signature)

(*HS*)

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं क्र. 3224/09 2880/06 3224/09

(ii) पुलिस थाना (थाने) जिला या जिले राज्य क्र. 3224/09 क्र. 2880/06 क्र. 3224/09
उत्तराखण्ड शिमला उत्तराखण्ड

(iii) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 147, 3237, 147 IAC 504, 506 17-1

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचनाक की गई जिला न्यायालय शिमला

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे क्र. 3224/09 14/9/2006 क्र. 2880/06 7/11/2006

(vi) क्या समी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है विचारधीन



मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाली अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धकोष टहराया गया है/नहीं टहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धकोष टहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं X लागू नहीं

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है X लागू नहीं

(iii) पुलिस थाना (थाने) X जिला (जिले) X राज्य X

(iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) के लिये अभ्यर्थी कमी आरोपित किया गया है X लागू नहीं

Signature

3.

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे.....

१ लायू नई

(vi) क्या दंडादेश रक्षक अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक गया है / रोके गए हैं.....

१ लायू नई

स्थान: देहरादून
तारीख: 11/11/2012


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन



मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हू कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

देहरादून स्थान पर आज तारीख 11/11/2012 को सत्यापित किया।

11/11/12
श्री. पं. राजेश कुमार
अभिजाति
अधिवक्ता
11/11/12
श्री. राजेश कुमार
अधिवक्ता


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर